


70

R-2139-II/12



रमेश कुमार श्रीवास्तव तनय स्व० श्री शिवकुमार<sup>लाल</sup> श्रीवास्तव उम्र 70 वर्ष , पेशा सेवा निवृत्त कर्मचारी निवासी तरहटी चित्रगुप्त मंदिर के सामने रीवा तहसील हुजूर जिला रीवा म०प्र०

निगराकार/आवेदक

बनाम्

श्रीमती मधुवाला श्रीवास्तव पत्नी श्री राजवर्धन श्रीवास्तव उम्र 61 वर्ष पेशा घरुकार्य निवासी हाउस नम्बर 73 रेविरा टाउन नियर माता मंदिर भोपाल म०प्र०

गैर निगराकार/अनावेदिका

निगरानी विरुद्ध निर्णय व आदेश दिनांक 08.06.12 जो न्यायालय श्रीमान नायब तहसीलदार तहसील हुजूर वृत्त बनकुइया जिला रीवा म०प्र० द्वारा प्रकरण क्रमांक 44ए12/2011-12 मे पारित किया गया।

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म०प्र० भू राजस्व संहिता।

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है:-

1. यह कि भूमि नम्बर 268, 269, 270, कुल किता 2 कुल रकवा 2.307 हे० स्थित ग्राम अंतरिया तहसील हुजूर वृत्त बनकुइया जिला रीवा का<sup>जो</sup> सीमांकन किया गया है और उस संबंध मे जो सीमांकन का आदेश दिनांक 08.06.12 को दिया गया है वह गलत तथा धारा 129 म०प्र० भू राजस्व संहिता के प्रावधानों एवं उसके अन्तर्गत बने नियमों के विपरीत दिया गया है इस कारण उक्त सीमांकन आदेश निरस्त किए जाने योग्य

अधिवक्ता श्री अलेख प्रिया  
द्वारा उल्लेखित  
रीवा, दिनांक 26.6.2012  
Amul  
26.6.12

3-7-12

26-6-12  
M

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

नं. ११५

प्रकरण क्रमांक. R 2139-11/12 जिला सीकर

रोमेश कुमार जीवालय / श्रीमती मधुवाला श्रीवालय

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
<p>(71)</p> <p>19-12-17-</p>	<p>24-10-17 1- अधिवक्ता गण सांख्यिक बड़वाला पर है। 2- वास्ते प्रकरण पूर्णपत्त। पेशी तारीख 19-12-17 साक्षात् से रीडर</p> <p>1- लाघाविके चेरी सिंग 27-12-17 हेतु खदारा पर्ष।</p>	
<p>21/12/17</p> <p>M</p>	<p>आवेदन संख्या 101- प्रमोद सिंहा उपस्थित द्वितीय सिविल रिजिस्ट्रार अर्थात् सिविल प्रकाश के आगे नहीं चलाया जा रहा है। अतः आगे नहीं चलाये के कालो प्रकाश अर्थात् प्रकाश इसी स्तर पर समाप्त किया जा रहा है।</p> <p>[Signature]</p>	<p>Not Pres</p> <p>[Signature]</p> <p>26-12-17</p>